प्रेस नोट
दिनांक 18.02.2026

थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा 01 दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-05/2026, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित 01 आरोपी अभियुक्त - अली अहमद उर्फ ननके पुत्र मुस्तकीम नि0 छत्तरपुरवा मौजा बनगाँव थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा को बनकटी मोड़ ग्राम बनगाँव से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.02.2026 को वादी मुतीम पुत्र अली अहमद नि0 मौहारी रजवापुर थाना पयागपुर जनपद बहराइच द्वारा थाना कटरा बाजार में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी बहन की शादी जून 2024 में विपक्षी फैजान पुत्र अली अहमद नि0 छत्तरपुरवा मौजा बनगाँव थाना कटरा बाजार से हुई थी । शादी के कुछ समय बाद से ही उनकी बहन को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा 05 लाख रु0 दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था । दिनांक 11.01.2026 को सूचना मिली कि उनकी बहन ने फांसी लगा ली है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि उसकी बहन को दहेज के लिए शारीरिक/मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उसे मार दिया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटरा बाजार में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । आज दिनांक 18.02.2026 को थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त - अली अहमद उर्फ ननके पुत्र मुस्तकीम नि0 छत्तरपुरवा मौजा बनगाँव थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा को बनकटी मोड़ ग्राम बनगाँव से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. अली अहमद उर्फ ननके पुत्र मुस्तकीम नि0 छत्तरपुरवा मौजा बनगाँव थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 05/2026, धारा 85, 80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 मुकेश मणि त्रिपाठी मय हमराह
02. कां० संदीप कुशवाहा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.02.2026

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर को किया गया गिरफ्तार, 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा रात्रि गश्त व क्षेत्र भ्रमण के दौरान 01 वाहन चोर - अजीत सिंह पुत्र राम नाथ सिंह नि0 ग्राम हीरापुर कमियार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.02.2026 को उ0नि0 राजेश पाण्डेय थाना कोतवाली कर्नलगंज मय हमराह देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग में भ्रमणशील थे, इस दौरान रेलवे लाइन कटरा क्रासिंग से पहले रेलवे स्टेशन जाने वाली सडक पर वाहन के चेकिंग के दौरान वाहन अजीत सिंह पुत्र राम नाथ सिंह नि0 ग्राम हीरापुर कमियार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय गोण्डा रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पुलिस पूछताछ के दौरान बताया गया कि जिस गाड़ी होण्डा BR 06 CT 1197 से वह आ रहा था वे चोरी की है। दो-ढाई साल पहले वह मुजफ्फरपुर (बिहार) गया था वहीं से यह गाड़ी चोरी की थी। तब से वह इस गाड़ी का उपयोग खुद ही कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अजीत सिंह पुत्र राम नाथ सिंह R/O ग्राम हीरापुर कमियार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 95/2026 धारा 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. हाण्डा मोटर साइकिल नं0 (BR-06-CT-1197)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 राजेश पाण्डेय मय हमराह
02. का० जितेन्द्र कुमार
03. का0 राहुल राठौर

मीडिया सेल, गोण्डा।